

आदेश

लोक सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर से माँगी जाने वाली वांछित सूचना के निष्पादन हेतु पुलिस अधीक्षक सह सहायक निदेशक (प्रशिक्षण), बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर को लोक सूचना पदाधिकारी एवं पुलिस उप-महानिरीक्षक-सह-उप निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर को अपीलीय पदाधिकारी के रूप में मनोनीत किया जाता है।

निर्देशित किया जाता है कि लोक सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्राप्त एवं लंबित सभी मामलों को ससमय निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।

मा। २५।१२
(भृगु श्रीनिवासन)

अपर पुलिस महानिदेशक-सह-निदेशक,
बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर।

ज्ञापांक 6430 / अकादमी

बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर नालंदा।

राजगीर, दिनांक- २६/१२/२२

प्रतिलिपि :-

1. पुलिस उप-महानिरीक्षक-सह-उप निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।
2. सहायक निदेशक (प्रशिक्षण), बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।
3. सहायक निदेशक (प्रशासन), बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर को सूचनार्थ।
4. पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय)/मुख्य विधि अनुदेशक/मुख्य वाह्य अनुदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।
5. श्री अंकित कुमार, आई०टी० मैनेजर, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर को सूचनार्थ एवं ऑनलाइन वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कियार्थ प्रेषित।
6. परिचारी प्रवर/प्रभारी प्रशिक्षण शाखा/सामान्य शाखा/लेखा शाखा/रक्षित कार्यालय/निर्गत शाखा, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

मा। २५।१२

अपर पुलिस महानिदेशक-सह-निदेशक,
बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर।